नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना संख्या 22/2017

उदा पुत्र छोगा पुत्र गोगा जाति भांबी निवासी ग्राम केम्पू चौराहा (रामगढ) तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

..................प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र श्री बालू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. रोशन पुत्र श्री मंगला जाति भांबी निवासी केम्पू चौराहा रामगढ, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर।

..............अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ भू0 अ0 नि0 रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2130 रक्बा 01–16–00 बीघा उसकी खुदकाश्त से खोतदारी की भूमि है। जिसमें पडोसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है। अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम रामगढ की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता स0 34 में ख0 न0 2130 रक्बा 01–16–00 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः में पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिये जाते है। कि–

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम रामगढ स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 2130 रक्बा 01–16–00 बीघा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है। कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 13.7.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:42:23 IST
Reason: SelfAttested